निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 11 **पटना, बुधवार, 11 चैत्र, 1931 (श0) / 1 अप्रील, 2009 (ई0)**

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-6
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1 ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	7-9
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन, सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं, और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	11-11

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

भवन निर्माण विभाग

अधिसूचनाएं

16 मार्च 2009

सं० भ०/स्था०-अवकाश-306/08/1771—श्री गिरिश नन्दन सिंह, उपनिदेशक-2 अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम-227 के आलोक में दिनांक 11 नवम्बर 2008 से 30 नवम्बर 2008 तक कुल 20(बीस) दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरिश कुमार वर्मा,
सरकार के अवर सचिव।

---

17 मार्च 2009

सं० भवन/स्था-1-मुक-406/08/1847—सी.डब्लू.जे.सी. सं० 16152/08 अमित कुमार बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 6 जनवरी 2009 को पारित आदेश के आलोक में श्री अमित कुमार, सहायक अभियंता तथा उनके प्रतिस्थानी श्री भूलन प्रसाद, सहायक अभियंता के स्थानान्तरण के संबंध में भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या 5128(भ.), दिनांक 30 जून 2008 में निहित आदेश ही प्रभावी माना जाएगा।

2. इस संबंध में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं० 9032(भ.), दिनांक 17 अक्तूबर 2008 इस हद तक संशोधित समझा जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
एच.एन.झा,
सरकार के अपर सचिव।

23 मार्च 2009

सं. भ./स्था.-1-पद-110/7/2154—श्री कमालाकान्त झा, कार्यपालक अभियंता, जो पदस्थापन की प्रतीक्षा में है को कार्यपालक अभियंता, भवन निरूपण अंचल सं.-2, पटना के स्थित पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एच.एन.झा,

सरकार के अपर सचिव।

---

25 मार्च 2009

सं० 1—अवकाश—305 / 08—2301(भ)—श्री अरूण कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, संरचना प्रमंडल सं0 2, भवन निर्माण विभाग, पटना सम्प्रति सेवा निवृत को बिहार सेवा संहिता के नियम—227 के आलोक में दिनांक 1 अक्तूबर 2008 से 12 अक्तूबर 2008 तक कुल 12 (बारह) दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

एच.एन.झा,

सरकार के अपर सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

21 मार्च 2009

सं0 ग्रा0वि0 2/स्था0-1-01/08-1996—बिहार प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन निम्नांकित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर किया जाता है :-

क्र0 सं0	**अधिसूचना संख्या**	**पदाधिकारी का नाम/सेवा संवर्ग/ कोटि क्रमांक/ गृह जिला**	**वर्तमान पदस्थापन**	**नव पदस्थापन स्थान (प्रखंड एवं जिला)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	1976	श्री विनोद कुमार सिंह, बि0प्र0से0, 1153/04, भोजपुर	सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधेपुरा ।	प्रखंड विकास पदा0, सौरबाजार, सहरसा

1	2	3	4	5
2	1977	श्री अनिल कुमार, बि0प्र0से0, 993/04, दरभंगा	सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पश्चिमी चम्पारण ।	प्रखंड विकास पदा0, बनमाईटहरी, सहरसा
3	1978	श्री राजेश चौधरी, बि0प्र0से0, 1000/04, मुजफ्फरपुर	सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भागलपुर ।	प्रखंड विकास पदा0, ग्वालपाड़ा, मधेपुरा
4	1979	श्रीमती एकता वर्मा, बि0प्र0से0, 1374/04, खगडिया	सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, भोजपुर ।	प्रखंड विकास पदा0, नरपतगंज, अररिया
5	1980	श्री तारानन्द महतो वियोगी, बि0प्र0से0, 1094/04, सहरसा	सहायक परियोजना पदाधिकारी, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी ।	प्रखंड विकास पदा0, रानीगंज, अररिया
6	1981	श्री दिनेश कुमार राय, बि0प्र0से0, 1014/04, रोहतास	योजना पदाधिकारी, मुख्यालय (ग्रामीण विकास विभाग)	प्रखंड विकास पदा0, राघोपुर, वैशाली
7	1982	श्री शंभू शंकर बहादुर, बि0प्र0से0, 1011/04, पटना	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, बाराचट्टी, गया
8	1983	श्री शिवेन्दु रंजन, बि0प्र0से0, 1169/04, पटना	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, डुमरिया, गया
9	1984	श्री उज्जवल कुमार सिंह, बि0प्र0से0, 1052/04, भागलपुर	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, साहेबगंज,मुजफ्फरपुर
10	1985	श्री अंजनी कुमार, बि0प्र0से0, 1344/04, नालन्दा	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदाधिकारी, औराई, मुजफ्फरपुर
11	1986	मो0 कबीर, बि0प्र0से0, 1406/04, दरभंगा	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, पारू, मुजफ्फरपुर
12	1987	श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव, बि0प्र0से0, 1147/04, पूर्वी चम्पारण	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, पदाधिकारी, झाझा, जमुई

1	2	3	4	5
13	1988	श्री अपूर्व कुमार मधुकर, बि0प्र0से0, 856/04, कटिहार	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0 पिपराकोठी, पूर्वी चम्पारण
14	1989	श्री कमलेश सिंह, बि0प्र0से0, 1059/04, भोजपुर	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, घोडासहन, पूर्वी चम्पारण
15	1990	श्री बीरेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, 1312/04, कटिहार	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण
16	1991	श्री जयशंकर मंडल, बि0प्र0से0, 929/04, भागलपुर	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, सिकटा, पश्चिम चम्पारण
17	1992	श्री सहादत हुसैन, बि0प्र0से0, 1407/04, कैमूर (भभुआ)	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए।	प्रखंड विकास पदा0, गिद्धौर, जमुई
18	1993	श्री रवि भूषण, बि0प्र0से0, 1031/04, नवादा	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, टेढ़ागाछी, किशनगंज
19	1994	श्री मनोजीत कुमार दास, बि0प्र0से0, 666/04, पश्चिम चम्पारण	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, ठाकुरगंज, किशनगंज
20	1995	मो0 महफूज आलम, बि0प्र0से0, 1024/04, औरंगाबाद	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, बाजपट्टी, सीतामढ़ी
21	1996	मो0 सलीम अख्तर अंसारी, बि0प्र0से0, 1192/04, मधुबनी	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना से सेवा वापस लेते हुए ।	प्रखंड विकास पदा0, बेलसंड, सीतामढ़ी

2. उक्त प्रस्ताव में भारत निर्वाचन आयोग की सहमति संसूचित है ।

3. उपर की अधिसूचनाओं एवं इसके पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में कोई विरोधाभाष हो तो वर्तमान में निर्गत अधिसूचना हीं प्रभावी होगी और एतद् द्वारा उनसे संबंधित पूर्व के अधिसूचना विलोपित की जाती है ।

4. स्थानांतरित/ पदस्थापित पदाधिकारी अविलंब विरमित होकर अपने-अपने नव पदस्थापन वाले पद पर योगदान देकर प्रभार ग्रहण करेंगे तथा हर हालत में माह मार्च 2009 का वेतनादि नव पदस्थापित पद एवं जिला से हीं प्राप्त करेंगे ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0)-अस्पष्ट,
सरकार के उप-सचिव।

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग (निबंधन)

अधिसूचना

23 मार्च 2009

सं० I / E^{1} – 601 / 2003 / 552—श्री निलेश कुमार, अवर निबंधक, पटना सिटी, पटना को दिनांक 20 दिसम्बर 2007 से 6 जनवरी 2008 तक कुल 18 (अठारह) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति बिहार सेवा संहिता के नियम–227, 228, 230, 232 एवं 248 के अन्तर्गत वैयक्तिक कारणों पर दी जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एन. विजयलक्ष्मी,
निबंधन महानिरीक्षक।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 2-571+00-डी0टी0पी0।

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश अधिसूचनाएं और नियम आदि।

(सं० नि०वि०स्था०–137/08–918अनु० (सी०डी०)–6888)
निगरानी विभाग

संकल्प

29 दिसम्बर 2008

विषय : भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति तथा राज्य सरकार की राशि के दुर्विनियोग, गबन, राज्य सरकार के द्वारा चलायी जा रही योजनाओं में भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करना।

राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिये कृत संकल्प है। ऐसे सभी उपाय किये जा रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके। राज्य सरकार यह भी चाहती है कि राज्य के अधीन चलायी जा रही योजनाओं में पारदर्शिता रहे, उनकी गुणवत्ता विशिष्टियों के अनुरूप रहे तथा इनके कार्यान्वयन में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर कारगर ढंग से रोक लगायी जा सके।

2. आये दिन सरकार के समक्ष लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्ट आचरण से अर्जित की गयी सम्पत्ति की शिकायतें मिलती रहती है। इस प्रकार की अवैध सम्पत्ति/धन सरकारी योजनाओं में लाभुकों को मिलने वाले लाभ में अवैध कटौती करके, कई मामलों में सरकार से मिलने वाले लाभ से लाभुकों को वंचित करके, सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन एवं घपलों के माध्यम से अर्जित की जाती है। लोक सेवकों का इस प्रकार का कृत्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। यह भी ज्ञात हुआ है कि आम–जन जो लोक सेवकों के विरूद्ध ऐसी सूचना देते हैं, उन्हें लालच देकर भ्रष्ट लोक सेवकों के द्वारा अपने पक्ष में शपथ–पत्र आदि दिलाकर मामले को रफा–दफा करने का प्रयास किया जाता है। फलतः मामले विधिक जटिलताओं में उलझ जाते हैं एवं ऐसे लोक सेवकों के विरूद्ध सरकार कारगर कार्रवाई नहीं कर पाती है।

3. उपर्युक्त परिवेश में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लोक सेवकों के विरूद्ध परिवाद देने वाले इस प्रकार के परिवादी/सूचक जनहित में सरकार को मद्द देने के लिए सदैव तत्पर रहें एवं ऐसे सूचकों का सहयोग सरकार को उक्त आरोपी के विरूद्ध अभियोजन की कार्रवाई सिद्ध होने तक प्राप्त होता रहे। निगरानी विभाग ने इस निमित्त भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले व्यक्तियों को पुरस्कृत करने की योजना बनायी है। इस प्रकार के पुरस्कार प्रदान करने हेतु निगरानी विभाग के अधीन दो तरह के कोष सृजित किये जायेंगे। पहला कोष ''गुप्त सेवा कोष'' के नाम से जाना जायेगा जो लोक सेवकों के द्वारा भ्रष्ट आचरण से अवैध सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में सूचना देने वाले को प्रदान किया जायेगा। दूसरा ''पुरस्कार कोष'' के नाम से जाना जायेगा। इस प्रकार के पुरस्कार वैसे सूचकों को दिये जायेंगे जो राज्य सरकार की राशि के दुर्विनियोग, गबन आदि की सूचना देकर सरकार को जनहित में चलायी जाने वाली योजनाओं में बरती जाने वाली अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने में मद्द करेगी। निगरानी विभाग के अन्तर्गत इस निमित्त बनायी गयी पुरस्कार योजना निम्न प्रकार है :–

(क) पुलिस की कार्य प्रणाली की तरह निगरानी विभाग में भी सूचक/स्रोत रखने की व्यवस्था विकसित की जायगी। ऐसे सूचक जो भ्रष्ट लोक सेवकों के विषय में उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक की सम्पत्ति रखने, आलीशान मकान बनवाने अथवा खरीदने अथवा उनके भ्रष्ट आचरण, तौर–तरीकों के संबंध में जानकारी निगरानी विभाग को देते हैं तथा प्राप्त जानकारी के आलोक में जाँचोपरान्त अगर मामला सही पाया जाता है तथा वैसे लोक सेवकों के विरूद्ध जाँच के आधार पर मामला दर्ज किया जाता है और अनुसंधान के उपरान्त उसमें आरोप–पत्र दाखिल किया जाता है तो ऐसे सूचक को प्रोत्साहन स्वरूप निगरानी विभाग द्वारा न्यूनतम 1,000/–रू0 एवं अधिकतम 50,000/– रूपये दिये जायेंगे। यह राशि विभाग में सृजित 'गुप्त सेवा कोष' से देय होगी। दोष सिद्ध न होने की स्थिति में भी आरोप–पत्र दायर करने के समय जो राशि पुरस्कार के रूप में दी जायगी उसे वापस नहीं लिया जायगा।

(ख) जो आरोपकर्त्ता सरकारी राशि के गबन, दुर्विनियोग या घपले की जानकारी निगरानी विभाग को देता है एवं जाँचोपरान्त मामला सही पाया जाता है एवं उस संबंध में काण्ड अंकित होता है एवं अनुसंधानोपरान्त मामले में अपराधियों के विरूद्ध आरोप–पत्र दायर होता है तो निगरानी विभाग वैसे सटीक आरोपकर्त्ता को

पुरस्कृत करेगा। यह पुरस्कार की राशि न्यूनतम 1,000/–रू0 एवं अधिकतम 50,000/– रूपये तक सीमित होगी। यह राशि विभाग में सृजित पुरस्कार कोष से देय होगी। ऐसे गबन, दुर्विनियोग या घपले से संबंधित आरोप–पत्र पर जब न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जायगा तब सरकार को इस उद्‌भेदन के फलस्वरूप अतिरिक्त प्राप्त होने वाली राशि/बचत होने वाली राशि का अधिकतम दो प्रतिशत तक की राशि सूचक को निगरानी विभाग द्वारा पुरस्कार कोष से दी जायेगी। जिसमें पहले दी गयी राशि समायोजित कर ली जायगी। परन्तु यह राशि अधिकतम 5,00,000/–(पाँच लाख) रूपये ही होगी। दोष सिद्ध न होने की स्थिति में भी आरोप–पत्र दायर करने के समय जो राशि पुरस्कार के रूप में दी जायगी उसे वापस नहीं लिया जायेगा।

(ग) अप्रत्यानुपातिक धनार्जन के तहत सफल ढंग से अनुसंधान संचालित करने वाले अनुसंधानकर्त्ताओं/लोक अभियोजकों को भी समुचित रूप से पुरस्कृत किया जायगा। पुरस्कार की राशि का निर्णय महानिदेशक/अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, द्वारा प्रधान सचिव, निगरानी के अनुमोदन से लिया जायेगा।

(घ) विशेष न्यायालयों में चल रहे मुकदमों के अन्तिम निष्पादन में एक संतोषप्रद उपलब्धि हासिल हो इस हेतु गैर सरकारी गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित बनाये रखने के लिए गवाहों को उनके गृह स्थान से न्यायालय तक आने–जाने का वास्तविक बस भाड़ा/रेल भाड़ा (द्वितीय श्रेणी शयनयान) का भुगतान पी0एन0आर0सं0 देने अथवा टिकट की छाया प्रति देने पर किया जायगा। इसके अतिरिक्त उनके खाने–पीने एवं आवासन के लिये 200/–रू0 (दो सौ रूपये) मात्र प्रतिदिन की दर से राशि न्यूनतम दो दिनों के लिए दी जायगी। इसका भुगतान विभाग के बजट शीर्ष के अन्तर्गत विशेष सेवा के अदायगियों के लिए प्रावधानित राशि से किया जायगा।

(ङ) अभी वर्त्तमान में गुप्त सेवा ईकाई में प्रावधानित राशि का जिस प्रकार उपयोग किया जाता है वही प्रक्रिया इस कोष के संचालन में भी अपनायी जायगी।

(च) उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए अब गुप्त सेवा कोष का विकलन बजट शीर्ष–2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ–सतर्कता–0002–मंत्रिमंडल (सतर्कता) विभाग की गुप्त सेवा ईकाई से होगा। पुरस्कार कोष का विकलन उक्त शीर्ष के अन्तर्गत व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ ईकाई से विकलित होगा। आवश्यकतानुसार राशि का उप आवंटन निगरानी विभाग द्वारा मांग के अनुरूप विभाग की विभिन्न ईकाईयों को किया जायगा। विभिन्न जिलों को भी मांग के अनुरूप राशि विभाग द्वारा जिला पदाधिकारियों को उपलब्ध करायी जायगी। गुप्त सेवा कोष का उपयोग कंडिका–3 के उप कंडिका–'क' में वर्णित मद के लिए किया जायेगा। पुरस्कार राशि का उपयोग कंडिका–'ख', 'ग' एवं 'घ' के मदों के लिए किया जायेगा।

(छ) पुरस्कार कोष की राशि के लिए कार्यालय प्रधान द्वारा अनुषंगी पंजी (Subsidiary Register) रखी जायगी। प्रत्येक वर्ष इस मद के अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान सचिव, निगरानी विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ज) गुप्त सेवा कोष से सूचकों को दी जाने वाली पुरस्कार राशि का अंकेक्षण नहीं किया जायेगा।

(झ) किसी सरकारी सेवक द्वारा जो परिवाद या केस दायर किये जायेंगे उन्हें इस योजना के तहत कोई पुरस्कार की राशि प्रदान नहीं की जायगी।

(ट) 25000/– रू0 (पचीस हजार रूपये) तक के पुरस्कार एवं अन्य भुगतान का अनुमोदन अपर महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा एवं उससे उपर 50,000/– रू0 (पचास हजार रूपये) तक के सभी मामलों में राशि का भुगतान निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के अपर महानिदेशक के प्रस्ताव पर प्रधान सचिव, निगरानी विभाग के अनुमोदन से किया जायेगा।

(ठ) यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली बाधाओं के निराकरण के लिए निगरानी विभाग द्वारा अनुपूरक अनुदेश जारी किया जायेगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र में प्रकाशित कराने के लिये भेज दी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति महालेखाकार/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष को आवश्यक कार्रवाई के लिये अग्रसारित की जाये।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विजय कुमार वर्मा,
सरकार के प्रधान सचिव।

श्रम संसाधन विभाग

शुद्धि–पत्र

16 मार्च 2009

सं0 5/एम0डब्लू0–405/07श्र0सं–690—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (11,1948) की धारा–27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0 5/एम0 डब्लू0–405/07 श्र0नि0 3289 एवं 3290 दिनांक 30 जुन 2008 में निम्नांकित संशोधन करने हैं,

उक्त अधिसूचना में अंकित टिप्पणी (क) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2001–100) के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960–100) प्रतिस्थापित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के उप सचिव।

The 16th March 2009

No.-5/M.W.-405/07 L&R- 691—In exercise of power conferred by section-27 of the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) the governor of Bihar is pleased to make the following amendments in the Government Notification No. 5/M.W. 405/07 L&R 3289 & 3290 dated 30th June 2008 of the department of Labour Resources,

In the said notification Note (A) consumer price index (3001-100) shall be substituted by consumer price index (1960-100) .

By Order of the Governor of Bihar,
SIRAJUDDIN ANSARI,
Dy. Secretary to Govt. of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 2-571+00-डी0टी0पी0।

बिहार गजट

का

पुरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना

3 मार्च 2009

सं० 6/गो0 34–01/2008–606/वा0क0—श्री राजीव रंजन कुमार सिंह, वाणिज्य–कर उपायुक्त, प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम के निलंबन के फलस्वरूप सासाराम अंचल, सासाराम में पदस्थापित वरीयतम पदाधिकारी श्री अवध बिहारी सिंह, वाणिज्य–कर पदाधिकारी को अगले आदेश तक के लिए वाणिज्य–कर पदाधिकारी, प्रभारी, सासाराम अंचल, सासाराम के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
लाल बाबू गुप्ता,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट का पूरक (अ0), 2-571+00-डी0टी0पी0।